

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाग एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जीतेन्द्र कुमार पिता- रामदहिन प्रसाद ग्राम+पो०- अजवाँ थाना- नौबतपुर जिला- पटना	CATARACT Intravitral Injection	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) मात्र का क्रास चेक स० 196822..... मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रायुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 413(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी० मैनेजर
स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्स्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . .

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **05.02.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	राम प्रकाश शर्मा पिता—दुखी शर्मा ग्राम—सोनमनी पो०—सोनसा थाना—सिन्धिया जिला—समस्तीपुर एम०सी०एस०—एफ 87556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	दिनेश प्रसाद पिता—जगदीश प्रसाद ग्राम—नेयामतपुर पो०—पत्थर कट्टी थाना—नीमचक बथानी जिला—गया एम०सी०एस०—एफ 86823	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मास्टर पप्पी कुमार पिता—सकिंद्र सिंह ग्राम—श्रीरामपुर अयोध्या पो०—वैनी थाना—पूसा जिला—समस्तीपुर एम०सी०एस०—ई० 96310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	खोभारी पटेल पिता—स्व० कोदो पटेल ग्राम—पीपरीया 16 पो०—बेलवा थाना—भेलाही जिला—पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस०—एफ 87657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रीता देवी पति-सच्चिदानन्द झा ग्राम-ब्रहाज्ञानी वार्ड 8 पो0-ब्रहाज्ञानी थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस0-एफ 83106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	ममता देवी पति-संतोष कुमार ग्राम-करिहन पो0-बिशनपुर बेझा थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस0-एफ 35098	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	किसुन प्रसाद पिता-स्व0 रामाश्रय प्रसाद ग्राम+पो0-सिसवा पटना थाना-केसरिया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस0-एफ 86715	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
8	अकित कुमार पासवान पिता-कृष्ण देव पासवान ग्राम-उफरैल पो0-आमागाछी थाना-सिकटी जिला-अररिया एम0सी0एस0-एफ 88181	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बिकेश कुमार पिता-शिव पुजन पासवान ग्राम-परसावा पो0-अम्बा थाना-कुटुम्बा जिला औरंगाबाद एम0सी0एस0-एफ 87565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	इन्दु देवी पति-विश्वनाथ दास ग्राम-गोविन्दपुर पो0-दतियाना थाना-बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस0-एफ 82102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	जितेन्द्र कुमार पिता-योगेन्द्र शर्मा ग्राम-खजनपुरा 03 पो0-बरियारपुर थाना-पातेपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस0-एफ 22454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रुबी सिंह पति-मनोज सिंह ग्राम-पो0-धमार थाना-मुफ्फसिल जिला-भोजपुर एम0सी0एस0-ई0 86266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	राजेश कुमार पिता- महेन्द्र राय ग्राम-राजापुर मैनपुरा पो0-जी0पी0ओ0 थाना-एस0 के0 पुरी जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 85667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अभिनव पीयूष पिता-सुनील कुमार पाठक ग्राम-पो0-रतैठा थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस0-एफ 70664	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
15	सजु देवी पति-उपेन्द्र पासवान ग्राम-सम्मासपुर जफराबाद पोस्ट+थाना-फतुहा जिला पटना एम0सी0एस0-एफ 84066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	विद्यानन्द विश्वास पिता-स्व0 महादेव विश्वास ग्राम-आमात टोला खरहट पो0-गीदवास थाना-रानीगज जिला अररिया एम0सी0एस0-एफ 87393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	दुधनाथ सहनी पिता-सिपाही सहनी ग्राम-झौवा टोला पो0-सुरजपुर थाना-श्री नगर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस0-एफ 87344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	उषा देवी पति-भोला साह ग्राम-बधुआ पो0-चाप थाना-अकोढी गोला जिला-रोहतास एम0सी0एस0-एफ 87608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



19	अनुपम कुमारी पति-मिथिलेश कुमार सिंह ग्राम-लगमा पो0+थाना-जमुई जिला-जमुई एम0सी0एस0-एफ 62184	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	सुशीला देवी पति-दिनेश राय ग्राम-परसडी वार्ड 6 पो0-सरदलपट्टी थाना परिहार जिला-सीतामढी एम0सी0एस0-एफ 88038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	चन्द्रमोहन झा पिता-रमाकात झा ग्राम-हरद्वार पो0-पाली थाना-घनश्यामपुर जिला दरभंगा एम0सी0एस0-एफ 64170	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	सुलेखा देवी पति-देवपुजन प्रसाद ग्राम-मोगल बीघा पो0-सोलहडा थाना-मखदुमपुर जिला जहानाबाद एम0सी0एस0-एफ 87019	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	संगीता मेहता पिता-सजय कुमार ग्राम-मोगलपुरा छता तल पटना सिटी पो0-झाउगज थाना खाजेकला जिला पटना एम0सी0एस0-एफ 83606	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	कामदेव सिंह पिता-गणेश सिंह ग्राम+पो0-रजौड थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस0-एफ 76945	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	सुरेश प्रसाद पिता-अर्जुन गोप ग्राम-चन्ददासी पो0+थाना-नूरसराई जिला-नालंदा एम0सी0एस0-एफ 19971	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	दिलिप राम पिता-राम कुमार राम ग्राम-बनरझुला पो0-अमही थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी एम0सी0एस0-एफ 87667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	लालती देवी पति-महेश यादव ग्राम-मुरारपुर ब्रह्म स्थान पो0-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा एम0सी0एस0-एफ 87075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	अजय कुमार भगत पिता-स्व0 रामेश्वर भगत ग्राम-कशमर पो0-खरिका थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस0-एफ 87318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	धर्मवीर कुमार सिंह पिता-महेश कुमार सिंह ग्राम-भगवानपुर पो0+थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस0-एफ 82987	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
30	शांति देवी पति-शिव शंकर मंडल ग्राम+पो0-छतौनी थाना-तरियानी जिला-शिवहर एम0सी0एस0-एफ 87017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	नद लाल रजक पिता-स्व0 मोहन रजक ग्राम-रामपुर वार्ड 09 पो0-मझगाय थाना-सग्रामपुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस0-डी0 31617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	निशा रानी पति-प्रकाश कुमार सिन्हा ग्राम-सरस्वती सदन गोकुल पथ नाना पर नार्थ पटेल पो0-केशरी नगर थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 88365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



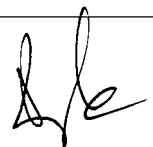
33	रामदेव यादव पिता-रामपति यादव ग्राम-खजांची बिगहा पो0-बनतारा थाना-देवकुड जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस0-एफ 62284	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
34	अरविन्द कुमार पिता-प्रवीण महतो ग्राम-लक्ष्मीपुर सतनगर 12 पो0-ललीत लक्ष्मीपुर थाना-खजौली जिला-मधुबनी एम0सी0एस0-एफ 15624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मुखल राम पिता-दुखहरण राम ग्राम-अमवा नकछेद पो0-अमवा नकछेद थाना-जिला-गोपालगज एम0सी0एस0-एफ 86243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रजु देवी पति-शशि कान्त पाठक ग्राम+पो0-असीचक थाना-दलसिह सराय जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस0-एफ 46661	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
37	मो0 मोतीउर रहमान पिता-मो0 महबुब ग्राम-फकीरा खा पो0-लालबाग थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा एम0सी0एस0-एफ 88024	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
38	सुधीर कुमार पिता-शिव कुमार यादव ग्राम+पो0-हथिऔधा थाना-बिहारीगंज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस0-एफ 85303	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	जागमती देवी पति-राम बिजय प्रसाद ग्राम-पटेल पथ वार्ड 12 पो0+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस0-एफ 86671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	राम झलक सिंह पिता-राम लखन सिंह ग्राम-नावाडेरा पो0-पुराना भोजपुर थाना-डुमराव जिला-बक्सर एम0सी0एस0-एफ 86524	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	मगरसाना देवी पति-सकलदीप महतो ग्राम-गगवा पो0-पचुआ थाना-एकमा जिला-सारण एम0सी0एस0-एफ 70415	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	मो हसन पिता-शमीरुद्दीन ग्राम-रुहिया पो-कन्हैया बाडी हाट, थाना-कोचा धामन जिला-किशनगज एम0सी0एस0-एफ 88471	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	सुन्दरी देवी पति-अवधेश सिंह ग्राम-रीता बिगहा पो0-नोआवा थाना-सकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस0-एफ 87515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	झपसी देवी पति-रामवृक्ष दास ग्राम+पो0-परसा थाना-बेला जिला-सीतामढी एम0सी0एस0-एफ 87032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मानमती देवी पति-विपत रजवार ग्राम-जमुहारा पो0-इद्रपुरी थाना-तिलौथु जिला-रोहतास एम0सी0एस0-एफ 8803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	मीना देवी पति-बैजु कामत ग्राम-केवट टोला पो0+थाना-सुपौल जिला-सुपौल एम0सी0एस0-एफ 86672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



47	विष्णु कुमार पिता-पंकज कुमार ग्राम-धोकरधारा पो0-बिशनपुर दत्त थाना-बनमनखी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस0-एफ 86901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	सुखदेव कामत पिता-राम गोविन्द कामत ग्राम-जरौली पो0-हरियाही थाना-निर्मली जिला सुपौल एम0सी0एस0-एफ 80615	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	जगरानी देवी पति-नन्हक मिस्त्री ग्राम-पुन्दौल पो0+थाना-गोह जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 72158	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	बीबी रोजाना खातुन पति-नेवाही बैठा ग्राम-फनहन वार्ड 11 पो0-रहटा थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 85513	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	लखन लाल मंडल पिता-रमणु मंडल ग्राम-कचोरा वार्ड 05 पो0-कदवा थाना-कदवा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 87341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	अश राज पिता-विरेन्द्र राय ग्राम-देवी स्थान गली बिहाइड कुट्टी मशीन पो0-सदाकत आश्रम थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	कमलेश्वरी साह पिता-नेमानी साह ग्राम+पो0-पररिया थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 87543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	बिरजु भगत पिता-पारम भगत ग्राम-हुसैनी बीगहा पो0-पुरैनिया थाना-किजर जिला-अरवल एम0सी0एस-एफ 88210	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	नवलेश कुमार पिता-नंदु राम ग्राम-पुनहदा पो0-नेवारी थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 87298	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	गुड्डु कुमार पिता रघुनाथ भगत ग्राम-सेमरा बाजार भोला टोला पो0-सेमरा बाजार थाना-तुरकौलीया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 87807	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	राम करण चौहान पिता-मुन्ना चौहान ग्राम-पश्चिमी हजारी कैप पो0-बेतिया थाना-नगर जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 82579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	विभा देवी पति-मनोज कुमार सिद्ध ग्राम+पो0-अलावलपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 80953	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	कुलसुम खातुन पति-अली मिया ग्राम-मजोहपुर पो0-परौना थाना-तरैया जिला सारण एम0सी0एस-एफ 86505	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
60	कनकलता तिवारी पिता-स्व0 सुमेश्वर तिवारी ग्राम-मसाचक पो0-आदमपुर थाना-आदमपुर ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-ई0 73243	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।



61	कृष्णा देवी पति-उपेन्द्र सहनी ग्राम-टेगरारी पो-टेगरारी थाना-सिवाई पट्टी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 86216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	सुदर्शन पाठक पिता-स्व0 रामजग पाठक ग्राम-बिशुनपुर पो0-बाराडीह थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 87750	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	नीरो देवी पति-काली पासवान ग्राम-समिया पो0-मेहथ थाना-भैरव स्थान जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 85707	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	छोटी कुमारी पिता-राजन पोद्दार ग्राम+पो0-बथुआ बुजुर्ग थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 8501	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	शोभा देवी पति- दशरथ प्रसाद ग्राम- कस्तुरीचक पो0+थाना- नयागांव जिला- सारणएम सीएस न0- ई 18336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	भविषन सिंह पिता- विश्वनाथ सिंह ग्राम- करिहन पो0- बिशनपुर बेझा थाना- महुआ जिला- वैशाली एमसीएस न0- एफ 50957	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	प्रमिला देवी पति- श्याम साह ग्राम+पो0- कमलदह थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी एमसीएस न0- ई 87780	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			48,90,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 48,90,000/- (अड़तालीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 393(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **05.02.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अलसा देवी पति-फुलेश्वर यादव ग्राम-मयूरवा वार्ड 01 पो०-लतौनाअ थाना-त्रिवेणीगज जिला-सुपौल सीआरन०-108112300244237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लोकेश नाथ मिश्रा पिता-हरिश्चन्द्र मिश्रा ग्राम-हसवारा वार्ड 13 पो०-रामपुर हरी थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-108112402199929	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अरविन्द पासवान पिता-राजेन्द्र पासवान ग्राम-मखदुमपुर वार्ड 09 पो०-हरही मखदुमपुर थाना-अलीपुर जिला-गया सीआरन०-108112301019211	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	शिव दानी सिंह पिता-बच्चु सिंह ग्राम-अजुनार वार्ड 15 पो०-धनार थाना-धमौल जिला-नवादा सीआरन०-108112401086390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

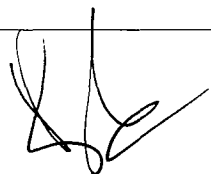
5	फुलमती कुमारी पति-मुकेश कुमार ग्राम-मिश्रौलीया पो0-सरता थाना-परस बिगहा जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112301017927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सरस्वती देवी पति-ओम प्रकाश यादव ग्राम-दाहा वार्ड 03 पो0-बभनी थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112300670414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	हेमा देवी पति-राम एकबाल पाण्डेय ग्राम+पो0-बघाडी थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी सीआरन0-108112403805784	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	हेवनी देवी पति-टुनटुन दास ग्राम-तुलसी आनदपुर वार्ड 12 पो0-सरहचिया थाना-हथौडी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112403673471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रजीत कुमार पिता-योगेन्द्र साव ग्राम+पो0-लखना थाना-गौरीचक जिला पटना सीआरन0-108112403697213	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अनीता देवी पति-फुलेन्द्र साह ग्राम-बेहरारी वार्ड 02 पो0-बेहरारी थाना-सिहेश्वर जिला-मधेपुरा सीआरन0-108112401974279	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	उषा देवी पति-अर्जुन प्रसाद ग्राम-सुदरपुर पो0+थाना-कतरी सराय जिला नालदा सीआरन0-108112500011601	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	यशोदा देवी पति-प्रेम प्रकाश ग्राम-पसही फरीदपुर वार्ड 11 पो0-फरीदपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना सीआरन0-108112300058441	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	रामवरन साह पिता-झरी साह ग्राम-सीतारामपुर पो0-धबौली थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112401424945	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	बबलु कुमार पिता-स्व0 बृजनदन सिंह ग्राम-रवाइच पो0+थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना सीआरन0-108112500060131	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	चन्द्र मोहन गिरि पिता-स्व0 यदुनदन गिरि ग्राम+पो0-लाल दरवाजा थाना-कोतवाली जिला-मुगेर सीआरन0-108112402697139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मुन्ना प्रसाद पिता-जय प्रकाश प्रसाद ग्राम-बेलदारीचक वार्ड 14 पो0-पुनपुन थाना-परसा जिला-पटना सीआरन0-108112301013948	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	उत्तमा देवी पति-जय नारायण साह ग्राम+पो0-दिनारा थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरन0-108112403758832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	अरविन्द यादव पिता-बेनी यादव ग्राम-बिशनपुर वार्ड 5 पो0-आरन थाना-बिहरा जिला-सहरसा सीआरन0-108112403569690	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



19	सुनीता देवी पति—रामेश्वर प्रसाद ग्राम—बिजली आफिस के पास गुलजारबाग पो0—गुलजारबाग थाना आलमगज जिला पटना सीआरन0—108112301218272	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	राम रती देवी पति—नन्द किशोर राम ग्राम—बहिलवारा बहुआल 04 पो0—बहिलवारा बहुआल थाना—सरैया जिला—मुजफ्फरपुर सीआरन0—108112403432899	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	नागिया देवी पति—महेंद्र पासवान ग्राम—मँजिया पो0—बकसामा थाना—गोरौल जिला—वैशाली सीआरन0—108112401907822	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	किशन कुमार पिता—पप्पु मडल ग्राम—सलहा 03 पो0—बिरौली थाना—बेनीपट्टी जिला—मधुबनी सीआरन0—101812403806268	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	कौशल्या देवी पति—हरे राम चौधरी ग्राम—खैरही कला पो0—बसडीहा थाना—दिनारा जिला—रोहतास सीआरन0—108112401701973	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
24	साकेत यादव पिता—शिव बालक यादव ग्राम—कजीचक बाढ पो0—बाढ थाना—बाढ जिला—पटना सीआरन0—108112403409625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	दीपक कुमार पिता—अजय राम ग्राम+पो0—नर्सिंगपुर थाना—सकरा जिला—मुजफ्फरपुर सीआरन0—108112300656705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सादमा बेगम पति-मुर्तुजा ग्राम-लौकरिया पो0-सिसवा बाजार, थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112402367376	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	यासमिन खातुन पति-मो0 इलियास ग्राम-50 मेवा साव लेन न्यु अजीमाबाद कोलनी पो0-महेन्दु थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना सीआरन0-108112500069189	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	उर्मिला देवी पति-राम लखन यादव ग्राम+पो0-परिकोच थाना-मरौना जिला-सुपौल सीआरन0-108112500038640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रिकी देवी पति-उदय कुमार ग्राम-बरनऊ के दक्षिण मठिया पो0-बरगाव थाना-आयर जिला-भोजपुर सीआरन0-108112401180574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रुकमणी देवी पति-स्व0 भुपेन्द्र चन्द्र सिन्हा ग्राम-आदर्श पथ वेस्ट पटेल नगर ठाकुर कोचिंग इस्टीच्युट पो0+थाना-शास्त्री नगर जिला पटना सीआरन0-108112401470271	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
31	योगेन्द्र दास पिता-महावीर दास ग्राम-सेनुअरिया वार्ड 2 पो0-सेनुअरिया थाना-मझौलीया जिला प0 चम्पारण सीआरन0-108112301279123	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	गीता देवी पति-कृष्ण देव रावत ग्राम-खडाईचक पो0-प्रधानचक थाना-खैरा जिला जमुई सीआरन0-108112300325156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



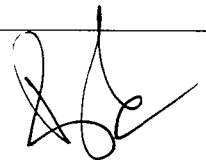
33	गुलाम अहमद पिता-मो० गुलशन ग्राम+पो-जहागीर टोला थाना-कमतोल जिला-दरभंगा सीआरन०-108112402737149	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
34	उषा देवी पति-शालीग्राम सिंह ग्राम-रजौना चौकी वार्ड 01 पो०-बाल गुदर थाना+जिला-लखीसराय सीआरन०-108112403588872	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	नीरजा देवी पति-राज नन्दन सिंह ग्राम-चन्दोस मठिया पो०-चिकसी थाना-सिगोडी जिला-पटना सीआरन०-108112400002575	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
36	ब्रह्मदेव चौधरी पिता धनिक लाल चौधरी ग्राम-हिन्दुपुर पो०+थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा सीआरन०-108112403650497	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	राजमनी देवी पति-कृष्णा सिंह ग्राम-हुरका पो०+थाना-दरिहट जिला रोहतास सीआरन०-108112402661819	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	सावित्री देवी पति-गागो साह ग्राम+पो०-अलानी थाना-सलखुआ जिला सहरसा सीआरन०-108112300394905	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
39	राधेश्याम मेहता पिता-राम जनम मेहता ग्राम-बडकागाव वार्ड 8 पो०-बडकागाव थाना-तरारी जिला-भोजपुर सीआरन०-108112500105690	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	कुती देवी पति-जवाहर लाल मिश्रा ग्राम-जगतपुर तरवारा पो0-पडितपुर थाना-जनता बाजार जिला-सारण सीआरन0-108112403830720	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	सुषमा देवी पति-बलिद्र माझी ग्राम+पो0-बैरका थाना-अतरी जिला-गया सीआरन0-108112403697540	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	अजना देवी पति-चन्दन यादव ग्राम-मरगा वेस्ट नियर दुर्गा मंदिर, पो0-मरगा थाना-सहायक मरगा जिला पूर्णिया सीआरन0-108112500058098	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	दुलारी देवी पति-जगदीश राम ग्राम+पो0-सिमरी थाना-बिस्फी जिला मधुबनी सीआरन0-108112403603915	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	रिक्कु कुमार पिता-रजीत कुमार ग्राम-पो0-भलर थाना-धरहरा जिला मुंगेर सीआरन0-108112300133753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सुबोध कुमार रजक पिता-खलदु रजक ग्राम-पो0-अम्बा थाना-तेघडा जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112300606007	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
46	क्रांति देवी पति-अखिलेश पासवान ग्राम-पथला पोखर वार्ड 04 पो0-कोर्सा थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112403052492	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।



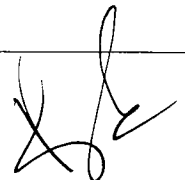
47	सुषमा देवी पति-युगल यादव ग्राम-तारो पो0-हेमतपुर थाना-फतेहपुर जिला-गया सीआरन0-108112400016789	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	चन्द्रमा सिंह पिता-सूर्यदेव सिंह ग्राम-रामागढ पो0-डेवा थाना-कादीरगज जिला-पटना सीआरन0-108112403760535	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	नागेन्द्र पासवान पिता-देव नारायण पासवान ग्राम-रामडीहा पो0-गवन्द्रा थाना-चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112500057156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	सोनु कुमार सिंह पिता-रामदास सिंह ग्राम-महुआरा पो0-मुजहर थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद सीआरन0-108112401527817	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	बिटु कुमार पिता-रघुवश सिंह ग्राम-कन्हौली बिशुनपुर वार्ड 13 पो0-कन्हौली थाना-महुआ जिला वैशाली सीआरन0-108112403439907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	इन्दु कुमारी पति-प्रमोद यादव ग्राम-सरतकिया पो0+थाना-हिसुआ जिला नवादा सीआरन0-108112300158951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मो0 अरशद पिता-मो0 नसदीन ग्राम-उज्जैन टोला बेतिया 23 पो0-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112300962598	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

54	सोशीला देवी पति-रामदुलार तिवारी ग्राम-सवनहा पो0-बथुआ बाजार थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगज सीआरन0-108112403124361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मुसीदा खातुन पति-सज्जाद अली ग्राम-मिर्जावाडी वार्ड 09 पो0-बेतौना थाना-कसबा जिला पूर्णिया सीआरन0-108112500025343	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	महगु यादव पति-हरिहर यादव ग्राम-राजपुर पो0-सगुडवा थाना-फुलवरीया जिला गोपालगज सीआरन0-108112500044101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	सत लाल चौधरी पिता-योगेन्द्र चौधरी ग्राम-पुरानीगज वार्ड 37 पो0-मुगेर थाना-कासीम बाजार जिला-मुगेर सीआरन0-108112403606978	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	बिटटु रजक पिता- सीताराम रजक ग्राम+पो0-सिरसियाकला थाना-भरगामा जिला अररिया सीआरन0-108112403735158	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	मनोज कुमार पिता-गणेश यादव ग्राम-धेनुडीह पो0-बासुदेवा थाना-सिन्धिया जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112300248551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	सहाना खातुन पति-इरशाद आलम ग्राम-धोपसडा वार्ड 06 पो0-चैना थाना-धोरैया जिला-बाका सीआरन0-108112403419299	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।



61	भोजल सिंह पिता-रामदेव सिंह ग्राम-सठियारी बमिया पो0-पाठकडीह थाना-अमडडा जिला-भागलपुर सीआरन0-108112401308007	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
62	रघुवीर सिंह पिता-यदुनदन सिंह ग्राम-सुलतानपुर मध्य पो0-सुलतानपुर पश्चिम थाना-मोहिउदीन नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112300159809	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
63	आशा कुमारी पति-शकर राय ग्राम-माधोपुर बडा पो0-तरैया थाना-तरैया जिला सारण छपरा सीआरन0-108112403451842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	मुकुट सिंह पिता-सूर्य सिंह ग्राम-मुदा छपरा पो0-श्रीपुर बाजार थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112300151531	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
65	कान्ती देवी पति-राम सागर सिंह ग्राम-पिरारी पो0-गोपुर थाना-गरखा जिला-सारण सीआरन0-108112500033672	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	बिरेन्द्र प्रसाद पिता-परशुराम सिंह ग्राम-कतलपुरा पो0-नीमथु थाना-छबीलापुर जिला-नालदा सीआरन0-108112403769061	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	अब्दुल जब्बार पिता-हसन राजा ग्राम+पो0+थाना-सासाराम जिला रोहतास सीआरन0-108112403411158	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

68	रौशनी कुमारी पिता-सतीश पंडित ग्राम- 'गायत्री नगर पो0-थाना-खगडिया जिला-खगडिया सीआरन0-108112403817375	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	अरविन्द कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-मिर्जापुर नोहटा पो0-फतुहा थाना-फतुहा जिला पटना सीआरन0-108112500101341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	भीम कुमार पिता-अमिताभ माझी ग्राम-मोगलनीचक 09 पो0-खजुरार थाना-भदौर जिला-पटना सीआरन0-108112301233409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	सोगारथ मडल पिता-गंगा मडल ग्राम-केवटी वार्ड 12 पो0-केवटी रनवे थाना-केवटी जिला-दरभंगा सीआरन0-108112401818561	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
72	शांति देवी पति-नरेश पासवान ग्राम-मोहिउद्दीनपुर वार्ड 10 पो0-हसा थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112402742860	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
73	प्रदीप यादव पिता-परमेश्वर यादव ग्राम-कौआदह वार्ड 01 पो0-तेतरिया थाना-सुईया जिला-बाका सीआरन0-108112300102017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	बुचिया देवी पति-हरे राम पासवान ग्राम-रजवाडा पो0-इनाई थाना-बहेडी जिला-दरभंगा सीआरन0-108112401562906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



75	गुन्नम देवी पति-सुरेश चौधरी ग्राम-सेमराव वार्ड 11 पो0-सेमराव थाना-मीरगज जिला-गोपालगज सीआरन0-108112300888819	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
76	जगीया देवी पति-शिवजी राय ग्राम-पो0-धरफरी थाना-देवरिया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112500035101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	ममता देवी पति-मुन्ना साव ग्राम-पो0-कचनावन थाना-बेलागज जिला-गया सीआरन0-108112403582530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	साफिया खातुन पति-मो0 अमिर हमजा ग्राम-गैना पो0-नेहरा थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा सीआरन0-108112403703019	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
79	मनोज कुमार सिंह पिता-राम प्रयाग सिंह ग्राम-दतौली पो0-हुरुका थाना-इन्द्रपुरी जिला-रोहतास सीआरन0-108112300875032	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
80	शिव कुमारी पति-शिव मंगल सिंह ग्राम-इटवा पो-करूप थाना-काराकाट जिला-रोहतास सीआरन0-108112402085982	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
81	लाइची देवी पति-कैलाश राय ग्राम-पो0-जैथर थाना-तरैया जिला सारण सीआरन0-108112300315029	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	कोमल कुमारी पति-सजीव कुमार ग्राम-चेरिया बरियारपुर पो0-श्रीपुर थाना-चेरिया बरियारपुर जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112300625761	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
83	मुजाहिद आलम पिता-मो0 इसराफील ग्राम-बनभाग पो0-परोरा थाना के0 हाट जिला पूर्णिया सीआरन0-108112403737142	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
84	श्रवण देवी पति/पिता-श्याम चौधरी ग्राम-नदपुर वार्ड 16 पो0-नंदपुर थाना-सूर्यगढा जिला लखीसराय सीआरन0-108112402697228	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
85	दीपक कुमार पिता-राम पुनित राय ग्राम-सुपौल पो0-डढिया असाधार थाना-अगारघाट जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112402880855	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	खुशबु कुमारी पिता-वरुण कुमार सिंह ग्राम-धेनुकी वार्ड 11 पो0-हसुलाही थाना-कोपा जिला-सारण सीआरन0-108112400550564	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
87	प्रभावती देवी पति-किशोरी साह ग्राम-पो0-सुगहा भवानीपुर थाना-कगली जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112500073194	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
88	पूनम देवी पति- सत्येद्र कुमार ग्राम- गोरैला पो0- जैतीपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300547655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



89	प्रमिला देवी पति- दशरथ राय ग्राम- बिदुपुर डीह पो0- बिदुपुर बाजार थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300365204	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	नीरज कुमार पिता- अमरनाथ महतो ग्राम- बाहरी बेगमपुर मडई पर पो0- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर न0- 108112403849218	ब्रेन ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	पूनम देवी पति- राजू सिंह ग्राम- बैरमचक पो0- नदौल थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112403536511	नेत्र रोग 3 Injections	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
92	कनक प्रिया पिता- गौरव कुमार देव ग्राम+पो0- बरडीहा मुर्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500066236	कोकिलिय र इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत।
93	अशू कुमारी पिता- सज्जन कुमार झा ग्राम- बीन बभनगामा पो0- बीना पो0- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300590909	पोस्ट किडनी ट्रांसप्लाट	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
94	कोमल कुमारी पिता- विपिन पासवान ग्राम- मुसादपुर वाड 07 पो0- तिलराथन थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112400268389	Live related Kidney Trasplant	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
95	नीरो देवी पति- बिरजू महतो ग्राम- देवधा वार्ड 02 पो0- गीता देवधा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402562080	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

96	विष्णु विन्द पिता- राजेन्द्र बिन्द ग्राम- मठपर पो0- हबीबपुर थाना- परवलपुर जिला- नालदा सीआर न0- 108112403668817	हीप रिफ्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
97	विलाश यादव पिता- भोला यादव ग्राम+पो0- अमनी थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112300587657	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
98	बलदेव माझी पिता- कर्मा माझी ग्राम+पो0- डुमरी छपिया थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 10812402467869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	रविन्द्र प्रसाद राय पिता- हृदय राय ग्राम- रहुआ उर्फ बालगोविन्दपुर पो0+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112401947425	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
100	पिकी कुमारी पति- राजू कुमार ग्राम+पो0- अरनिया थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112300496112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	बबलू कुमार विमल पिता- रामाश्रय प्रसाद यादव ग्राम+पो0- मेघौना थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112300967115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	विवेन्द्र प्रसाद पिता- रामसेवक प्रसाद ग्राम- तरौरा वार्ड 15 पो0- पीर बढौना थाना- दनियावा जिला- पटना सीआर न0- 108112300060471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



103	निखत प्रवीण पति- मो० मकसूद ग्राम- शहदत टोला वार्ड 10 पो०- अकरथापा थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न०- 108112300560678	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
104	नेबी पासवान पिता- गोविन्द पासवान ग्राम- बीहट मसनदपुर पो०- उरवर्क नगर बरौनी थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112403253846	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
105	सुमती देवी पति- प्रवीण कुमार पंडित ग्राम- पोखरैरा वार्ड 04 पो०- पोखरैरा थाना- मुफसिल जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112403571881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	रजीता सिन्हा पति- मुनमुन सिन्हा ग्राम- किशुनपुर पो०- अकोढा थाना- दिनारा जिला- रोहतास सीआर न०- 108112300355411	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
107	कृपानंद झा पिता- कुशेश्वर झा ग्राम- चैनपुर वार्ड 04 पो०- बलुआ बाजार थाना- भीमपुर जिला- सुपौल सीआर न०- 108112403712492	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
108	वीणा देवी पति- कृष्णा ततबा ग्राम- मगलागौरी पो०- चोंद चौरा थाना- विष्णुपद जिला- गया सीआर न०- 108112400241421	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
109	रमेश यादव पिता- किशनजी यादव ग्राम- सिहुली वार्ड 11 पो०- श्रीपुर गाहर थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112400395313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	प्रभावती देवी पति— शिव नाथ महतो ग्राम— जनशक्ति प्रेस अदालत गज वार्ड 21 पो0— जी0पी0ओ0 थाना— कोतवाली जिला— पटना सीआर न0— 108112300370313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			75,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,60,000/- (पचहत्तर लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0—503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 394(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
ककडबाग, पटना- 80020

पटना, दिनांक.. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामलाल पासवान पिता- रूपन पासवान ग्राम- हैबलपुर वार्ड 06 पो0+थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल रजि न0- 2025/44154	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	उर्मिला देवी पति- शशि राय ग्राम+पो0- रसुलपुर कोइरीगाव थाना- गोशैल जिला- वैशाली रजि न0- 2025/47210	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	इमाम हुसैन पिता- बुनियाद साह ग्राम- महमूदपुर पो0+थाना- आन्दर जिला- सिवान रजि न0- 2025/44929	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			4,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,05,000/- (चार लाख पॉच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, ककडबाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 395(14)

पटना, दिनांक

10/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आफताब आलम पिता- अब्दुल रउफ ग्राम+पो०- भरतपुरा थाना- जी बी नगर जिला- सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	रजन देवी पति- विजय चौधरी ग्राम+पो०- मेहसौरी थाना- मुफ्फसिल जिला- खगड़िया	हृदय रोग एमीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालू खाता स० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176845..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 165902000000041 खाता धारक का नाम-“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड स० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

396(14)

पटना, दिनांक

10/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय। ह०/—

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनीता देवी पति— मनोज चौधरी ग्राम— चौखडी पो०+थाना— बासुदेवपुर जिला— मुंगेर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	बेबी देवी पति— मनोज महतो ग्राम— सैदपुर पो०+थाना— दिघवारा जिला— सारण	PUJ Calculus	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	हरेराम सिंह पिता— शिवदयाल सिंह ग्राम— झौवा वार्ड 02 पो०— बेनवलिया थाना— बिहिया जिला— भोजपुर	Carcinoma	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 397(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० सफी पिता- निजामुद्दीन ग्राम+पो०- शिवदाहा बरैल थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	अनार देवी पति- गुनेश्वर मूखिया ग्राम+पो०- पटसा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अब्दुल कैयुम अंसारी पिता- मो० जैनुद्दीन अंसारी ग्राम- भागवतपुर पो०- धरमपुर थाना- वैशाली जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	मो० जुबैर अंसारी पिता- मोहम्मद यासीन अंसारी ग्राम- बस स्टैंड मेहसी चक लालू पो०- मेहसी थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
5	राजो यादव पिता- स्व० मिश्री लाल ग्राम+थाना- परमानन्दपुर पो०- पचगछिया जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	नारायणी देवी पति- रविंद्र सिंह ग्राम- सकौली पो0- ब्राहिमपुर गोपी थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	असगर अली पिता- स्व0 अब्दुल अजीज ग्राम- इमामबाडा चौक कोरट वारी पो0- पूर्णियाँ थाना- मधुबनी जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	नेहा कुमारी पति- पिटू कुमार ग्राम- दौलतगज पो0+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 7,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 398(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. सैनेज़र, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 10/2/25

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

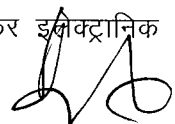
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिनेश कुमार पिता- स्व० देव नारायण पासवान ग्राम- गाडीखाना पो०+थाना- खगौल जिला- पटना रजि न- 3000561485	कैसर रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सोभा कुमारी पति- राम कुमार पाडेय ग्राम+पो०- माधोपुर थाना- जी बी० नगर जिला- सिवान यूएचआईडी न०- 3000495199	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	साधना कुमारी पति- सजीत चौधरी ग्राम- मानोपुर वार्ड 11 पो०- दरसुर थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर रजि न०- 3000561708	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत
4	मनोरमा कुमारी पति- ओम प्रकाश सुधाशु ग्राम- गदनपुरा वार्ड 12 पो०- दयालपुर थाना- चडी जिला- नालदा यूएचआईडी न०- 3000521924	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	शैलेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- रामाधार सिंह ग्राम- अदौली वार्ड 12 पो०- चकन्दरा थाना- चेवाडा जिला- शेखपुरा यूएचआईडी न०- 3000562112	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	सुरती कुमारी पिता- बीरेद्र कुमार मडल ग्राम- धनतोला वार्ड 09 पो0- कनखुदीया थाना- पलासी जिला- अररिया यूएचआईडी न0- 3000523147	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	अखिलेश पासवान पिता- स्व0 अवध पासवान ग्राम+पो0- ओरलाहा थाना- बी कोठी जिला- पूर्णिया यूएचआईडी न0- 3000544668	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	गौतम कुमार पिता- गोविन्द प्रसाद ग्राम- टिकुलीपर पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा यूएचआईडी न0- 3000416982	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	विनय कुमार सिन्हा पिता- स्व0 द्वारिका प्रसाद ग्राम- बसनपुर पो0- उतरनावा थाना- रहुई जिला- नालंदा यूएचआईडी न0- 3000561889	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	महादेव मडल पिता- स्व0 बनवारी मडल ग्राम- एकडारा वार्ड 08 पो0+थाना- झांझा जिला- जमुई रजि नं0- 800069269	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	मुसव्विर पिता- वदूद ग्राम- पेचौली वार्ड 03 पो0- बलुआ ड्येढी थाना- पलासी जिला- अररिया यूएचआईडी न0- 3000561975	कैसर रोग	25,000	पचीस हजार स्वीकृत।
12	अनीता देवी पति- हरेकृष्ण सिंह ग्राम- चौसीमा वार्ड 14 पो0- लक्ष्मणपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली यूएचआईडी न0- 3000556406	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	मीरा देवी पति- सुरेद्र प्रसाद सिंह ग्राम- गणेश सीन वार्ड 14 पो0- साहुगढ थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा रजि न0- 3000561888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

14	बीबी जैनब पिता- मो० महबूब आलम ग्राम- कारीचक वार्ड 10 पो०- छपकी थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न०- 3000561123	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	ओम प्रकाश गुप्ता पिता- द्वारिका प्रसाद गुप्ता ग्राम- चौक बडी मस्जिद आरा वार्ड 07 पो०- चौक आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर यूएचआईडी न०- 3000475318	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	चद्रकला देवी पति- जगरनाथ साह ग्राम- रमनगरा वार्ड 09 पो०- गम्हरिया थाना- सुप्री जिला- सीतामढी यूएचआईडी न०- 3000561456	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	सरवर आलम पिता- अखलाक ग्राम- केलावाडी वार्ड 04 पो०+थाना- सिकटी जिला- अररिया यूएचआईडी न०- 3000552675	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	धर्मशीला देवी पति- यज्ञदत्त शर्मा ग्राम+पो०+थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर यूएचआईडी न०- 3000549841	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	निभा देवी पति- राकेश कुमार शर्मा ग्राम- बिक्रम कैतुका पो०- कैतुका नदन थाना- मकरे जिला- सारण यूएचआईडी न०- 3000560252	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	गायत्री देवी पति- युगल सिंह ग्राम- सोरहीपुर वार्ड 01 पो०- कोचगोव थाना- वारसलीगज जिला- नवादा यूएचआईडी न०- 3000551288	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			13,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,50,000/- (तेरह लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176825... द्वारा आहरित कर इसी प्रकार



ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० **16498260000011** खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJ BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०-HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 399(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० **176825** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 05 02 2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती देवी पति- रामउमेद सिंह ग्राम+पो0- डोइया थाना- दिनारा जिला- रोहतास	हीप रिप्लेसमेंट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	मजु सिंह पति- भारत सिंह ग्राम- बाकरपुर पो0+थाना- अकिलपुर जिला- सारण	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कुंदन कुमार पिता- चन्द्रदेव राय ग्राम+पो0- जमीरा थाना- मुफ्फसिल जिला- भोजपुर	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अंकित कुमार पिता- अनिल सिंह ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			3,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-39196290026 खाता धारक का

नाम—KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार— बैंक का नाम—
स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली
रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५००(१५)

पटना, दिनांक 10/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **05.02.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीव कुमार मुखिया पिता- बच्चा बाबू मुखिया ग्राम+पो०- अदौली थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	अरविन्द कुमार पासवान पिता- रामानंद पासवान ग्राम- मगरगाही पो०- बघौनी थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	ड्रामा प्लास्टिक सर्जरी	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
3	राजन कुमार पासवान पिता- भोगेन्द्र पासवान ग्राम- कमला पट्टी पो०- खाउना थाना- हरलाखी जिला- मधुबनी	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	विशाल कुमार पिता- अमरकांत चौधरी ग्राम+पो०- पचपैका थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	राजू कुमार ठाकुर पिता— रामचंद्र ठाकुर ग्राम— परमानंदपुर पो0— बनौली थाना— सिमरी जिला— दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 3,05,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,05,000 /— (तीन लाख पाँच हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम—सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

401 (14)

पटना, दिनांक

10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0...176825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्स्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दुर्गावती देवी पति- स्व० ददन ओझा ग्राम- बान्धा पो०- अमराई नवादा थाना- बिहिया जिला- भोजपुर	नी रिप्लेशमेन्ट	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करें।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 402(14)

पटना, दिनांक 10/1/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 .../76825...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय। ह0/-

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशिक कुमार पिता- सतोष पासवान ग्राम+पो०- सोसदी थाना- रहुई जिला- नालदा	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	तृप्ति देवी पति- चन्द्र भूषण ग्राम- बाबुराहा पो०- अमौन थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	हर्निया रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 403(14)

पटना, दिनांक 10/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176815 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहम्मद जाहीद पिता- मोहम्मद इस्माइल ग्राम- पचायातिया थाना- कोतवाली पो०+जिला- गया	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति- अर्जुन राम ग्राम- जलालपुर वार्ड 04 पो०- जलालपुर थाना- वारसलीगज जिला- नवादा	हृदय रोग पीपीआई (डीडीडी)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५०५ (१५)

पटना, दिनांक १०/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.../१६४२५ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीना देवी पति—चन्द्रकान्त प्रसाद ग्राम—धरहरा वार्ड 09 पो०—धरहरा थाना—सिलाव जिला नालदा	कैंसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196815 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-440720110000498 खाता धारक का नाम—Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड स० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,
शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम
से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५०५(१५)

पटना, दिनांक १०/१/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
सलग्न चेक सं० १९६४२५...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को
कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं०- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सैरा खातून पति- कमरुद्दीन शाह ग्राम- हनुमानगंज पो०+थाना- मशरक जिला- सारण	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	नीलम सिंह पिता- मुकुंद नारायण सिंह ग्राम- वसंत बिहार पो०- रतनपुर थाना+जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	उषा देवी पति- जगदीश यादव ग्राम- तरौना पो०- भोजपुर थाना- ताराबाड़ी जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176845 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 406(14)

पटना, दिनांक 10/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्टा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमरून निशा पति— स्व० मो० शमीन ग्राम— लाल कोठी पो०+थाना— दानापुर जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/—(पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176815 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०—1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 407(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.. ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शमीमा बेगम पति- फजल इमाम ग्राम- शाह की इमली सदर गली पटना सिटी पो0- झऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विनय कुमार पिता- सकलदेव राय ग्राम- खरजम्मा पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	ड्रामा	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रविंद्र कुमार पिता- प्रेमनाथ पटेल ग्राम+पो0- नवानगर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 2,75,000/-(दो लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 408(14)

पटना, दिनांक

10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक-05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रिन्स कुमार पिता- मजिस्टर प्रसाद ग्राम- साउथ टोला नकटा दियारा पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक

ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 409(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176845 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- मनीष कुमार ग्राम- भूपतिपुर पो०- ढलवा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2024/037289	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No-59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

4/12/14

पटना, दिनांक 10/12/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.. / 96525 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शीला देवी पति- नटवरलाल शर्मा ग्राम+पो०- एकडेरवाँ थाना+जिला- गोपालगंज	हृदय रोग एमबीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” चालू खाता स० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ५११(१५)

पटना, दिनांक १०/२/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि न चेक सं० १४६६२५ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	अशोक प्रसाद पिता- लक्ष्मण प्रसाद ग्राम- मैदा टोली बीबीगज दानापुर पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	चनो देवी पति- सुखु चौधरी ग्राम- दौलतपुर पो०- पडितगज थाना- कादिरगज जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	वशी पडित पिता- रामचंद्र पडित ग्राम+पो०- हजरत साई थाना- धनरुआ जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	चंद्रशेखर चौधरी पिता- लक्ष्मण चौधरी ग्राम- नौवान पो०- दैदाहा थाना- दिनारा जिला- रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	हिरामुनी देवी पति- दया शंकर सिंह ग्राम- कुरुसा पो०- डोइया थाना- दिनारा जिला- रोहतास	RE CATARACT	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।

6	बिनोद कुमार सिंह पिता— हरषु दयाल सिंह ग्राम— जलालपुर पो0— करगहर थाना— करगहर जिला— रोहतास	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुखी पंडित पिता— लुटुकुन पंडित ग्राम— दौलताबाद पो0— हजरत साई थाना— कादिरगज जिला— पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	सुरेश यादव पिता— सियाशरण यादव ग्राम— दौलताबाद पो0— पंडितगज थाना— कादिरगज जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	देवनदन यादव पिता— चंद्रदीप यादव ग्राम— दौलताबाद पो0— पंडितगज थाना— कादिरगज जिला— पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	शारदा देवी पति— स्व0 भगवन साव ग्राम— बीबीगज मैदाटोली पो0— दानापुर थाना— दानापुर जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सतीश कुमार गुप्ता पिता— भैरो कुमार ग्राम— तरी मोहल्ला आरा पो0— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सुभाष सिंह पिता— दिनेश्वर सिंह ग्राम— जनपारा पो0— बारह थाना— रानी तालाब जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	निर्मला देवी पति— मोहन साह ग्राम+पो0+थाना— अगियाओ बाजार जिला— भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	भागवती देवी पति— स्व० राजनदन राय ग्राम— खासपुर पो०— दाउदपुर थाना— मनेर जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	साबरा खातून पति— अजहर ग्राम— कश्मीर गज पो०+थाना— मसौढी जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	मोहन प्रसाद पिता— शिवनदन प्रसाद ग्राम— दौलताबाद पो०— पडितगज थाना— कादिरगज जिला— पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176815 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 333905000940 खाता धारक का नाम—Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 412(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.. 196815 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर्व दृष्टि आई० अस्पताल
प्रा० लि०, नीयर आई०सी० होन्डा,
रुकनपुरा बेली रोड पटना-14

पटना, दिनांक . . .

विषय.— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	विजय कुमार पिता— नवल किशोर ग्राम— आनंद बाजार दानापुर कैट पो०— दानापुर कैट थाना— दानापुर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000 /—.	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000 /— (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200040528764 खाता धारक का नाम—Sarvdrishti Eye Hosptal Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम नीयर आर०पी०एस० मोड आई०बी० पेट्रोल पंप RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 11/4(14)

पटना, दिनांक 10/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख